भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1999

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी प्रशासनिक सेवा हेतु प्रस्ताव

†1999. श्री मनीष जायसवाल:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार देश में एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए शहरी प्रशासनिक सेवा, वित्तीय सेवा और तकनीकी सेवा संवर्ग बनाने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का उक्त संवर्ग को कुशलतापूर्वक चलाने और शहरी संरचना में सुधार हेतु आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती हेतु राज्यों को धन/वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या केंद्र सरकार ने उक्त संवर्ग के लिए कर्मचारियों की भर्ती हेतु आवश्यक रूपरेखा तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्रारंभ में कितने शहरों का चयन किया गया है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी कार्यों सहित शहरी गवर्नेंस से संबंधित मामले, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्य हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध इंटरवेंशन/एडवाइजरी के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) - (शहरी नियोजन सुधार) लागू की है, वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का उद्देश्य शहरी नियोजन को विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में बढ़ावा देना है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु मानव संसाधन संवर्धन के लिए इंसेंटिव के माध्यम से राज्यों को प्रोत्साहित किया गया।

राज्यों द्वारा अब तक दी गई जानकारी के अनुसार, एसएसएएससीआई (शहरी नियोजन सुधार) के अंतर्गत 1034 रिक्त पदों (नियमित/संविदा) को भरा गया, योजनाकारों के लिए 320 नए पद सृजित किए गए और 13 राज्यों ने विशिष्ट शहरी परियोजनाओं के लिए निजी विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम किया।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी/नगरपालिका तकनीकी संवर्ग को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार ने एसएसएएससीआई योजना 2025-26 में शहरी नियोजन सुधार के अंतर्गत घटक का विस्तार किया है। गवर्नेंस सुधार में बेहतर शासन के लिए नगरपालिका संवर्गों का निर्माण करना शामिल है, जिसमें पदों को भरने और सृजन के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हैं। इस योजना में निम्नलिखित सुधारों के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं:-

- शहरी स्थानीय निकायों (एक लाख से अधिक जनसंख्या) में जन स्वास्थ्य, मैकेनिकल, सिविल, विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों के पहले से स्वीकृत रिक्त पदों में कम-से-कम 50% पर भर्ती कार्य पूरा करना।
- जन स्वास्थ्य, मैकेनिकल, सिविल, विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों और वित्त विशेषज्ञों सहित तकनीकी नगरपालिका संवर्गों को सुदृढ़ करने के लिए संविदा पदों पर भर्ती।
- नगरपालिका प्रशासनिक सेवा सहित छोटे कस्बों (एक लाख जनसंख्या तक) के लिए नगरपालिका स्टाफ फ्रेमवर्क तैयार करना: एक कार्यपालक अधिकारी, नगर वित्त सेवा: एक वित्तीय अधिकारी, एक लेखाकार और नगर तकनीकी सेवा: इंजीनियर: 3 सिविल, 2 मैकेनिकल, 1 इलेक्ट्रिकल, 1 जन स्वास्थ्य।
- एनवायरमेंटल इंजीनियरों और हाईड्रोलॉजिस्ट के पदों की स्वीकृति

योजना के तहत प्रोत्साहन के पात्र होने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 15 दिसंबर 2025 तक सुधार कार्य पूरा करना अपेक्षित है।

******